कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 819 / 2018 / 10–11 / 1604 भोपाल, दिनांक 29/05/2020

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– रायसेन जिले में औद्यांगिक क्षेत्र मण्डीदीप में पूर्व निर्मित औद्यांगिक क्षेत्र को नियमितीकरण करने हेतु 16.268 हेक्टेयर वन भूमि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/ 8-53/2009-FC(Vol.) दिनांक 02.11.2018

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। आपके पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

1. शर्त क्रमांक (i) के पालन में आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।

2. शर्त क्रमांक (ii) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रु.1,01,83,768 / – एवं दाण्डिक नेट प्रजेन्ट वैल्यू की 50% राशि रु. 50,91,884 / – कुल राशि रु. 1,52,75,652 / – कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में दिनांक 15.05.2020 को जमा की जा चुकी है। ऑनलाईन जनरेटेड फार्म की छायाप्रति संलग्न है। ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/IND/29027/2017 है।

3. शर्त क्रमांक (iii) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा Purpose wise breakup दिया गया है जो कि संलग्न है।

4. शर्त क्रमांक (iv) के पालन में आपके द्वारा 197.93 हेक्टेयर हेतु अन्य प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 20.12.2017 में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / एफ–5 / 617 / 2009 / 10–11 / 1602 दिनांक 29.05.2020 द्वारा आपको भेजा गया है।

5. शर्त क्रमांक (v) के पालन में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वृक्षारोपण किया जावेगा। आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण की राशि ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करा ली गई है।

6. शर्त क्रमांक (vi) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सागर जिले की तहसील केसली, ग्राम खरखरी में उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित/नामान्तरित हो गई है। कलेक्टर सागर का आदेश, फार्म पी–2 आदि की छायाप्रति संलग्न है। इस गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

7. शर्त क्रमांक (vii) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि वन प्रबन्धन की दृष्टि से उपयुक्त है, के संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 28.05.2020 को स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

8. शर्त क्रमांक (viii) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 1:50000 के स्केल पर सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पर अंकित किया गया है।

9. शर्त क्रमांक (ix) के पालन में लेख है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु 25% की राशि का प्रावधान रखा गया है।

10. शर्त क्रमांक (x) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि वर्तमान मजदूरी दर से राशि रूपये 1,75,46,622 /- कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में दिनांक 15.05.2020 जमा की जा चुकी है। ऑनलाईन जनरेटेड फार्म की छायाप्रति संलग्न है। ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/IND/29027/2017 है।

11. शर्त क्रमांक (xi) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रु.1,01,83,768/– एवं दाण्डिक नेट प्रजेन्ट वैल्यू की 50% राशि रु. 50,91,884/– कुल राशि रु. 1,52,75,652/– कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में दिनांक 15.05.2020 को जमा की जा चुकी है। ऑनलाईन जनरेटेड फार्म की छायाप्रति संलग्न है। ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/IND/29027/2017 है।

12 शर्त क्रमांक (xii) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली में दिनांक 15.05.2020 जमा की जा चुकी है। ऑनलाईन जनरेटेड फार्म की छायाप्रति संलग्न है। ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/IND/29027/2017 है।

13. शर्त क्रमांक (xiii) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है जो कि संलग्न है।

14. शर्त क्रमांक (xiv) से (xviii) तक के पालन में आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।

15. शर्त क्रमांक (xix) तक के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर रायसेन का प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2016 पोर्टल पर अपलोड किया गया है एवं हार्डकॉपी में संलग्न है।

16. शर्त क्रमांक (xx) से (xxiv) तक के पालन में आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

29/5/2020

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 819 / 2018 / 10–11 / 1605 भोपाल, दिनांक 29/05/2020

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल / सागर वृत्त, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल औबेदुल्लागंज / दक्षिण सागर मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, तवा कॉम्पलेक्स, बिट्टन मार्केट, भोपाल मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

29/5/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

निरीक्षण टीप

मध्यप्रदेश उद्योग विभाग द्वारा रायसेन जिले में मण्डीदीप आद्यौगिक क्षेत्र में 16.268 हेक्टेयर वन भूमि का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना में आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वन भूमि सागर जिले में ग्राम खरखरी के खसरा क्रमांक 1 में 16.50 हेक्टेयर उपलब्ध कराई गई है।

2. इस प्रस्तावित गैर वनभूमि का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 28.05.2020 को किया गया। इस निरीक्षण के समय दक्षिण सागर सामान्य वन मंडल के अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित थे।

3. क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये प्रस्तावित गैर वनभूमि एक ही टुकड़े के रूप में है। यह गैर वनभूमि मुख्य मार्ग से लगभग 400 मीटर अंदर स्थित है। इस टुकड़े तक पहुंचने के लिये एक कच्ची सड़क उपलब्ध है।

4. इस गैर वन भूमि के आस–पास कोई गांव नहीं है। इस कारण इस गैर वनभूमि पर जैविक दवाब न्यूनतम है।

5. इस गैर वनभूमि में मृदा मुरमी तथा पथरीली है। इस कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति कम है। परियोजना में गड्ढे 60 से.मी. x 60 से.मी. x 60 से.मी. के किये जायेगे। कुछ टुकड़ों में मृदा पथरीली है वहां 100 से.मी. x 100 से.मी. x 100 से.मी. के गड्ढे खोदे जाना उचित रहेगा।

6. सभी गड्ढो में उपजाऊ मिट्टी परिवर्तन का प्रावधान है। सभी गड्ढों में खाद डालने का भी प्रावधान है।

7. प्रस्तावित स्थल में लगभग 600 मीटर की दूरी पर एक बड़ा बांध निर्मित है। इस बांध में उपलब्ध पानी से वृक्षारोपण क्षेत्र में सिंचाई किया जाना सम्भव है।

8. क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये प्रस्तावित गैर वनभूमि की मृदा मुरमी तथा पथरीली होने के कारण यह सामान्य रूप से रोपण के लिये योग्य नहीं है, परन्तु आवश्यकता अनुसार 60 से.मी. x 60 से.मी. x 60 से.मी. या 100 से.मी. x 100 से.मी. x 100 से.मी. के गड्ढे खोदे जाकर, उपजाऊ मिट्टी/खाद डालकर तथा सिंचित से रोपण सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

28/5/2020

(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

PROFORMA FOR VERICICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

1	Name of Regional Office	Bhopal
2	State/Distt/Forest Division to which the proposal relates	State : M.P. District : Raisen Division : Obedullaganj
3	Name of User Agency, nature of proposal	General Manager, M.P. AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM BHOPAL
4	nature and category of proposal	Industry
5	Proposal number	8-53/2009-FC(Vol.)
6	Extent of forest area involved	16.268 ha.
7	Whether original or extension	Original
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	NA
9	Date of Ist stage clearance	02-11-2018
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz,: (a) Compensatory Afforestation: (b) Additional CA (c) Penal CA (d) Catchment Area Treatment (e) Wildlife Project cost (5%) (f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas (g) Net Present Value (h) Any Other Charges /levies (Please specify)	a) 1,75,46,622 /- b) N/A c) N/A d) N/A e) N/A f) N/A g) 1,01,83,768/- + 50,91,884/- = 1,52,75,652/- h) N/A
	Total	**3,28,22,274 /-**

11	Whether payment made through challan of othervise in case of online payment details of challan				Through RTGS		
12	Details of deposits						
S No.	Type of deposit (NPV/CA/IWMP/Others (specify))	Whether by RTGS/DD/ NEFT (specify)	UTR / DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of deposit	Name of Bank from which amout transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	CA	-	-	1,75,46,622	15-05-2020	Corporation Bank New Delhi	-
2	NPV	-	-	1,52,75,652	15-05-2020	Corporation Bank New Delhi	-
Total				**3,28,22,274**			

29/5/2020

(Sunil Agarwal)
APCCF (Land Management)
& Nodal officer FCA
Madhya Pradesh, Bhopal